

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज—XIV
के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग
का निर्माण।

आज दिनांक 02/08/19 एवं 03/08/19 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पी0आई0यू0 कर्णप्रयाग के द्वारा बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक तक बनाये जाने वाले मार्ग हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बादर सिंह कठैत—वन दरोगा, श्री बसन्त लाल—वन दरोगा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सचिन कुमार—सहायक अभियन्ता एवं श्री धीरेन्द्र सिंह अपर सहायक अभियन्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री बलवन्त सिंह—ग्राम प्रधान बेडी तल्ली, श्री जमन सिंह सरपंच छिमटा एवं स्थानीय निवासी श्री कर्ण सिंह, श्री मकड सिंह व बुद्धि सिंह आदि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 7700 मी0 नाप भूमि, 4300 मी0 वन पंचायत भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 6.9300 हे0 नाप भूमि, तथा 3.3025 हे0 वन पंचायत भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.3025 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

इस समरेखन पर लगभग 846 वृक्ष, जो कि चीड़, बाँज, बुर्राँश, काफल, पदम, अंयार, एवं मेहल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे। जिनमें से 485 बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

भूमि का प्रकार	0-10 तक व्यास के बाँझ वृक्षों की संख्या	10 से अधिक व्यास के बाँझ वृक्षों की संख्या	योग
वन पंचायत भूमि— बेडी तल्ली, चोरडा छिमटा एवं डोलू	90	395	485

अन्य प्रजातियों के वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है—

भूमि का प्रकार	0-10 तक व्यास के अन्य प्रजाति के वृक्षों की संख्या	10 से अधिक व्यास के अन्य प्रजाति के वृक्षों की संख्या	योग
वन पंचायत भूमि— बेडी तल्ली, चोरडा छिमटा एवं डोलू	198	163	361

उपरोक्तानुसार वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्ष जिनका व्यास 10 से अधिक है की कुल संख्या 558 वृक्ष है, जिसमें से 395 वृक्ष बाँझ प्रजाति के हैं। मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.00 मी० चौड़ाई में तैयार किया गया है तथा वृक्षों की गणना 7.00 मी० की चौड़ाई में की गयी है।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 5600 मी० नाप भूमि, 3650 मी० सिविल भूमि से, 2750 मी० वन पंचायत भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण के चयन में कुल 5.040 हे० नाप भूमि, 2.550 हे० सिविल भूमि, 1.9250 हे० वन पंचायत भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.72 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर लगभग 1373 वृक्ष (चीड़, बोंज, बुरोंश, काफल, पदम, अंयार, एवं मेहल) इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त समरेखण वन पंचायत बेडी तल्ली, वन पंचायत चोरडा, वन पंचायत छिमटा, एवं वन पंचायत डोलू से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन (Dense Forest) है एवं इन चीड़, बोंज, बुरोंश, काफल, पदम, अंयार, एवं मेहल प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि वृक्ष विहीन हैं।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $79^{\circ}14'33.953''E$ $30^{\circ}8'22.279''N$ है तथा यह स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग 87 विस्तार के बकरिया बैण्ड से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल चोरडा ग्राम है जिसका GPS मान $79^{\circ}14'55.071''E$ $30^{\circ}6'30.864''N$ है। चुने गये समरेखण के बीच के स्थलों के GPS मान $79^{\circ}14'52.842''E$ $30^{\circ}7'42.319''N$, $79^{\circ}14'31.823''E$ $30^{\circ}6'35.099''N$, $79^{\circ}14'11.838''E$ $30^{\circ}6'40.023''N$, $79^{\circ}14'42.935''E$ $30^{\circ}6'30.365''N$, $79^{\circ}15'0.156''E$ $30^{\circ}6'35.333''N$ हैं।

चयनित समरेखण में किसी भी प्रजाति के पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

चयनित उपयुक्त समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 10 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं:-

- 1) $79^{\circ}14'33.789''E$, $30^{\circ}8'20.618''N$ 2) $79^{\circ}14'21.636''E$, $30^{\circ}8'21.007''N$
- 3) $79^{\circ}14'45.850''E$, $30^{\circ}7'52.459''N$ 4) $79^{\circ}14'50.261''E$, $30^{\circ}7'24.824''N$
- 5) $79^{\circ}14'26.172''E$, $30^{\circ}7'7.808''N$ 6) $79^{\circ}14'32.312''E$, $30^{\circ}6'35.028''N$
- 7) $79^{\circ}14'9.071''E$, $30^{\circ}6'47.019''N$ 8) $79^{\circ}14'6.122''E$, $30^{\circ}6'35.771''N$
- 9) $79^{\circ}14'45.960''E$, $30^{\circ}6'34.986''N$ 10) $79^{\circ}14'59.430''E$, $30^{\circ}6'35.000''N$

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

ग्रामवासियों के प्रतिनिधि
प्रमाणित किया गया है कि
इस परियोजना के निर्माण से
ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं होगा।

वन विभाग
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)
(वन क्षेत्र अधिकारी)

(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

(जन प्रतिनिधि)
प्रमाणित किया गया है कि
इस परियोजना के निर्माण से
ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।